>

Title: Reported allocation of cumulative maximum spectrum license to Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai in November, 1994.

श्री मिथिलेश कुमार : आदरणीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहता हूं नवम्बर, 1994 की जब मोबाइल सर्विस को चार महानगरों - दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, और चेन्नई - में सेवा के लिए लाइसेंस दिया गया था। उस समय भारत सरकार ने अधिकतम 4.5 मेगाहट्र्ज क्युमुलेटिव स्पेक्ट्रम आवंटित किया था। लेकिन वर्ष 2001 में क्युमुलेटिव स्पेक्ट्रम को 4.5 मेगाहट्र्ज से बढ़ाकर 4.4 + 4.4 मेगाहट्र्ज कर दिया गया जिससे प्राइवेट ऑपरेटरों को दुगुना फायदा हो गया। इसके लिए न तो कोई प्रक्रिया बनाई गयी और न ही फेरबदल का कोई सरकारी अनुबंध किया गया। जो सरकारी अनुबंध पहले था, यह मामला बिल्कुल इसके विपरीत था जिससे देश को अरबों रूपए का नुकसान हुआ।

इसके साथ यह भी रियायत कर दी गयी थी कि ऑपरेटर अपने फायदे के अनुसार 6.2 + 6.2 मेगाहट्र्ज तक का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा ग्राहकों की संख्या बढ़ने पर और अधिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो तब हुई है जब बिना किसी सरकारी प्रावधान के वर्ष 2006 में इस स्पेक्तट्रम के इस्तेमाल करने की क्षमता को बढ़ाकर 10.8 + 10.8 मेगाहट्र्ज कर दिया गया जिससे मोबाइल ऑपरेटरों का कई गुणा फायदा किया गया, लेकिन देश की बहुमूल्य संपदा का ह्रास होता रहा।

सभापति महोदय : यह मामला तो बहुत पुराना है। इसमें तो लिखा जाता है कि जो अविलंबनीय मुद्दे हों।

श्री मिथिलेश कुमार : जी हां, टू-जी स्पेक्ट्रम तो दुनिया देख रही है। लेकिन जो असली स्पेक्ट्रम का घोटाला किया गया, उसकी तरफ कोई सरकार नजर में नहीं आ रही है। कभी ये सरकार इधर थी तो कभी ये इधर थे। यह दोनों सरकारों के टाइम पर हुआ है। ये केवल इस सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, ऐसा नहीं है।

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं?

श्री मिथिलेश कुमार : मैं चाहता हूं कि इस मामले की पूर्णतया जांच कराके 4.5 मेगाहट्र्ज के आवंटन के बाद 10.8 + 10.8 मेगाहट्र्ज का इस्तेमाल होने पर सरकार के रूपए का जो नुकसान हुआ है, सरकारी राजस्व का जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, एक व्यवस्था आप यह दीजिएगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : दूसरा मामला नहीं, आपने बहुत विस्तार से बता दिया। इससे अगर दूसरा प्वायंट है तो फिर मैं एक्सपंज करा दूंगा।

श्री मिथिलेश कुमार : मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि इससे हमारे देश को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए, जिन कंपनियों ने यह नुकसान किया है, उनके खिलाफ़ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और उन्होंने स्पेक्ट्रम का जो इस्तेमाल किया गया, मय ब्याज के पूरा पैसा उनसे वसूल किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : All is well that ends well.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): जी सभापति महोदय, मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था।

सभापति महोदय : मैंने इसीलिए कहा कि 'All is well that ends well'.